नीति प्रस्ताव अनुवाद

एपीएनआईसी 46 (APNIC 46) में खुली नीती बैठक (ओपीएम) 13 सितंबर 2018 को नूमेया, न्यू कैलेडोनिया में चर्चा के लिए चार नीति प्रस्तावों के साथ आयोजित की जाएगी। इन चार प्रस्तावों का सारांश निम्नलिखित है।

प्रॉप-118: एपीएनआईसी क्षेत्र में आवश्यकता नहीं की नीति

यह एपीएनआईसी क्षेत्र में या इसके अंदर आईपीवी4 पते हस्ताँतरित करते समय आवश्यकता प्रदर्शित करने की अनिवार्यता को हटाए जाने का प्रस्ताव है। यदि संसाधन ऐसे आरआईआर क्षेत्र से हैं जहाँ आवश्यकता पर आधारित नीतियों की अनिवार्यता होती है, तो इसके लिए अपवाद होगा। इस स्थिति में प्राप्तकर्ताओं को पाँच वर्षों के अंदर कम से कम 50% संसाधनों के उपयोग की एक योजना उपलब्ध करानी होगी। यह नीति एएस सँख्या हस्ताँतरणों के लिए लागू नहीं होगी।

प्रॉप-124: आईपीवी 6 उप-एसाइनमेंट का स्पष्टीकरण

एपीएनआईसी इंटरनेट सँख्या संसाधन नीतियाँ दस्तावेज़ की धारा 2.2.3 के तहत आईपीवी6 आवंटनों के लिए निर्दिष्ट एड्रेस स्पेसेज़ की परिभाषा को स्पष्ट करता है।

जब नीति का मसौदा तैयार किया गया था, तो एसाइनमेंट/उप-एसाइनमेंट की अवधारणा में हॉटस्पॉट में आईपी पतों के उपयोग, या अतिथियों या कर्मियों द्वारा आईपी पतों के उपयोग के लिए अपने स्वयं के उपकरण लाएँ (बीवाईओडी) [Bring Your Own Device (BYOD)] और इसके जैसे कई अन्य मामलों पर विचार नहीं किया था।

यह प्रस्ताव इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए इस अवधारणा को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है, जिसमें 'एसाइनमेंट' की परिभाषा में अतिरिक्त शब्द जोड़कर आईपीवी6 के नए उपयोगों (आरएफसी8273) पर विशेष-रूप से ध्यान दिया गया है।

प्रॉप-125: "एब्यूस-मेलबॉक्स" और अन्य आईआरटी ईमेलों का सत्यापन

इंटरनेट समुदाय सहयोग पर आधारित है। परंतु कई मामलों में यह पर्याप्त नहीं होता है, और हम सभी को ऐसे एलआईआर से संपर्क करने में सक्षम होना चाहिए जिनके नेटवर्कों में समस्याएँ हो रही हों और वे इससे अवगत न हों। इस प्रस्ताव का उद्देश्य आईआरटी ऑब्जेक्ट ईमेलों के सरल तथा बार-बार किए जाने वाले सत्यापन के माध्यम से इस समस्या को हल करना है, और यह प्रस्ताव ऐसे सत्यापन करने के लिए आमूल नियम स्थापित करता है। इस प्रकार से यह तीसरे पक्षों के लिए अनावश्यक शुल्कों की बचत करता है, जिन्हें किसी नेटवर्क-विशेष के दुरुपयोगों को हल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से संपर्क करने की आवश्यकता हो।

प्रॉप-126: पीडीपी अपडेट

एपीएनआईसी नीति विकास प्रक्रिया दस्तावेज़ की धारा 4 के लिए अपडेट प्रस्तावित करता है।

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति के निर्धारण के लिए सूचीगत टिप्पणियों पर विचार करके प्रतिभाग में संवृद्धि को संभव बनाएगा। इसलिए मेलिंग सूची और फोरम को संतुलित करके सर्वसम्मति का निर्धारण किया जाएगा, और इसके कारण सामुदायिक प्रतिभाग में वृद्धि हो पाएगी।

यह निम्नलिखित के लिए भी सुझाव देता है:

- नीति एसआईजी और एपीएनआईसी सदस्य बैठकों में 'दोहरी' सर्वसम्मति की आवश्यकता को हटाया जाए
- प्रस्ताव जमा करने की समय-सीमा को ओपीएम से पहले 4 सप्ताहों से कम करके 1 सप्ताह तक सीमित किया जाए
- यदि ओपीएम में प्रस्तावों पर सर्वसम्मति प्राप्त हो, तो इसे एसआईजी मेलिंग सूची के माध्यम से बताया जाए
- यदि प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता को ऐसा लगे कि एसआईजी अध्यक्षों ने पीडीपी का उल्लंघन किया है, तो सीधे एपीएनआईसी कार्यकारी परिषद के समक्ष 'अपील' करने की प्रक्रिया आरंभ की जाए

वापस लिए गए

एपीएनआईसी 44 और एपीएनआईसी 45 में चर्चा के तहत निम्नलिखित प्रस्तावों को अब उनके लेखकों द्वारा वापस ले लिया गया है।

- prop-119: अस्थायी हस्ताँतरण
- prop-120: अंतिम /8 पूल शून्यीकरण योजना
- prop-123: आईपीवी4 हस्ताँतरण नीति का संशोधन

प्रतिभाग लें! अपनी बात सामने रखें

यदि आप इन नीति प्रस्तावों की चर्चाओं में भाग लेना चाहते/चाहती हैं, तो नीति एसआईजी मेलिंग सूची के सदस्य बनें और एपीएनआईसी 46 नीति एसआईजी बैठक में शामिल हों - व्यक्तिगत रूप से या दूरस्थ प्रतिभाग के माध्यम से।